निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 117/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बिरदीचन्द पुत्र मांगीलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम मुण्डियारामसर, तहसील कालवाड, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जयन्त कुमार चौधरी (आर.ए.एस.) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर (सहायक कलक्टर) जयपुर जिला जयपुर।
2. दुर्गा देवी पत्नी लच्छा
3. गुलाब पुत्र लच्छा
4. रमेश पुत्र लच्छा
5. सुरज पुत्र लच्छा
6. माया पुत्री लच्छा
7. गोमा उर्फ गोविन्दराम पुत्र लाला

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर (सहायक कलक्टर) जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 84/2022 ब–उनवानी दुर्गा देवी बनाम बिरदीचन्द व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री अमित त्रिवेदी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भगवानसहाय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 6, की ओर से ।

निर्णय दिनांक 28.11.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर (सहायक कलक्टर) जयपुर के समक्ष विचाराधीन के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 84/2022 ब–उनवानी दुर्गा देवी बनाम बिरदीचन्द व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर (सहायक कलक्टर) जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानसहाय शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 से 7 द्वारा एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी का प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा हैं। वाद दो वर्ष से लम्बित है जबकि इस

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में 10–15 वर्ष पुराने मामले भी विचाराधीन है, परन्तु पीठासीन अधिकारी मैनेजमेन्ट वाले प्रकरणों में सुनवाई करते है मैनेजमेन्ट नहीं होने की स्थित में रीडर को बोल रखा है कि उनमें आगामी पेशी तय कर दो तथा जिन प्रकरणों में मैनेजमेन्ट हो रखा है उन प्रकरणों को सांय 4 बजे बाद रख लो, जिससे अदालत में भीड भी न हो। अप्रार्थी संख्या 1 सुबह आने के बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय के चैम्बर में बैठे रहते है, जहां से उठकर न्यायालय में लगभग 4 बजे आते है और पूर्व से हुये मैनेजमेन्ट के प्रकरणों को सुनते है। प्रार्थी का प्रकरण मैनेजमेन्ट वाला है। वादीगण ने अपनी भूमि को 6 करोड में बैचान कर दिया है, अब वाद को मैनेजमेन्ट से डिक्री करवाकर व खातेदारी खुलवाकर विक्रय पत्र निष्पादन करेंगें, जिसका इकरारनामा किया हुआ है। प्रश्नागत भूमि को मोहन लाल यादव व उसके भागीदार ने क्रय कर ली है तथा एस.सी. के व्यक्ति कमलेश मेरोठा के नाम नामान्तरकरण करवा रखा हैं। मोहन लाल यादव एवं पूर्व पीठासीन अधिकारी अनिल चौधरी (आर.ए.एस.) का भाई पार्टनर है तथा अनिल चौधरी भी इसमे व्यक्तिगत रूची ले रहे है, परन्तु वे वाद डिक्री करने में असफल रहे और उनका स्थानान्तरण हो गया। अब जयन्त चौधरी इसमें मैनेज है जिन्होने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 तथा आदेश 5 नियम 11 के आज्ञापक प्रावधानो को ताक में रखकर खारिज कर चुके है तथा साथ ही उनके समक्ष प्रस्तुत न्याय नहीं मिलने के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर चुके है। उन्होने मैनेजमेन्ट से प्रभावित होकर प्रकरण में वीकली तारीख पेशियां दे रहे है, तथा पत्रावली अपने पास चैम्बर में रखते है। जिसके कारण प्रार्थी को आदेश की नकल भी नहीं मिल पा रही हैं। यहॉ तक की नकल हेतु पत्रावली को नकल सैक्शन में भी नहीं भेजा जाता है। इस कारण प्रार्थी अपने प्रकरण में आगामी कार्यवाही रिविजन भी नहीं कर पा रहा है। सम्पूर्ण खेल रूपयो के लेन देन के आधार पर खेला जा रहा है। सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधाको को ताक में रखकर मनमर्जी से आदेशिका लिखी जा रही है। प्रार्थी ने उक्त के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं लोकायुक्त तथा आप स्वयं के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। प्रार्थी के विरूद्ध फैसला करने के लिये बडी ताकते लगी हुई है। प्रार्थी 80 वर्ष का व्यक्ति है जिसका तीन बार आंतो का ऑपरेशन व बाई पास सर्जरी हो रखी है। प्रार्थी को आत्म हत्या करने के लिये मजबूर कर दिया है। पीठासीन अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी है, प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने विधि स्नातक की डिक्री भी प्राप्त नहीं की है जो सी.पी.सी. व काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों व सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों की भी जानकारी नहीं रखते है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना किसी न्यायिक दृष्टान्तो का उल्लेख किये ही खारिज कर देते है। पीठासीन अधिकारी उक्त व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नही है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में अन्य राजस्व न्यायालय के यहां मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 02 से 6 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश किया है तथा वाद दुरूस्ती वादीगण ने अपने पिता की खातेदारी की भूमि में ही घोषणा का अनुतोष चाहा है। उक्त मद में प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया है अप्रार्थीगण ने केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

मात्र दुरूस्ती इन्द्राज का पेश किया है, प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। प्रार्थी ने केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी पर अनावश्यक दबाव बनाकर प्रकरण को विलम्ब करने की मंशा से मनधडन्त, काल्पनिक बेबुनियाद कथन अंकित किये है। प्रार्थी की नियत प्रकरण में प्रारम्भ से ही विलम्ब कारित करने की रही है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2022 को उपस्थित आने के पश्चात 04 माह के समय तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2023 को जवाबदावा पेश करने का अवसर बंद किया गया तत्पश्चात वादी संख्या 1 गवाह उपस्थित आने पर उक्त गवाह से जिरह का भी अवसर न्यायालय द्वारा दिये गये, जिस पर दिनांक 08.06.2023 को गवाह जिरह नहीं करने पर अंतिम अवसर प्रार्थी को दिया गया। प्रार्थी ने वादी गवाह जिरह नही कर विधि विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 10.05.2023 को धारा–11 सी. पी.सी. का पेश किया जिसका जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर बहस दिनांक 24.05.2023 को सुनी जाकर दिनांक 30.05.2023 को न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 03.06.2024 को निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। प्रार्थी का उद्देश्य केवल मात्र प्रकरण को विलम्ब कारित करना है, जबकि प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थी का कोई अनुतोष नहीं है, प्रार्थी केवल मात्र भूमि का सहकाश्तकार है, इस कारण से उन्हे पक्षकार संयोजित किया है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप केवल मात्र गलत, काल्पनिक, बेबुनियाद है। प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर (सहायक कलक्टर) जयपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड मजिस्ट्रेट उत्तर (सहायक कलक्टर) जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner